पत्रांक–9/सै0 मेला स्वीकृति–04/2022–330 (9)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–10/02/26

विषय :– राज्यान्तर्गत मेलों के आयोजन हेतु राशि/आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–2894(9), दिनांक–07.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि राज्यान्तर्गत राजकीय घोषित/बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में सम्मिलित एवं अन्य महत्वपूर्ण मेलों के आयोजन हेतु विभाग स्तर से राशि का आवंटन किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–2894(9), दिनांक–07.08.2025 द्वारा राज्यान्तर्गत आयोजित होने वाले मेलों के आयोजन हेतु विभाग स्तर से राशि आवंटित किये जाने हेतु मानक का निर्धारण किया गया है। उक्त पत्र की कंडिका–4 में मेला हेतु आवंटन की अधियाचना मेला आयोजन की अवधि के प्रारम्भ होने से दो माह पूर्व संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा सम्भावित मदवार व्यय विवरणी के साथ विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश संसूचित है। उक्त पत्र की कंडिका–6 में यह निदेश अंकित है कि विभाग स्तर से स्वीकृत राशि/आवंटन के अनुसार ही मेला आयोजन हेतु राशि व्यय किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में जिला द्वारा अतिरिक्त व्यय कर विभाग के लिए देनदारियों (Liabilities) उद्भूत नहीं किया जायेगा।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि राशि की अधियाचना अत्यन्त विलम्ब से की जाती है तथा मेलों के आयोजन हेतु विभाग से बगैर पूर्वानुमति प्राप्त किये राशि का व्यय कर दायित्वों का सृजन कर दिया जाता है तथा ऐसी स्थिति में संवेदकों द्वारा न्यायालय में वाद भी दायर कर दिया जाता है। इसके अलावे कतिपय मामलों में जिला स्तर से अत्यधिक राशि की अधियाचना की जाती है। यह उचित परम्परा नहीं है।

उक्त के आलोक में यदि विभाग स्तर से कम राशि स्वीकृत की जाती है, तो मेला के आयोजन हेतु स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय। यदि स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय किया जाता है, तो अतिरिक्त राशि का आवंटन विभाग स्तर से निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतएव उपरोक्त के आलोक में मेला के आयोजन हेतु राशि की अधियाचना एवं विभाग स्तर से आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक–2894(9), दिनांक–07.08.2025 में संसूचित निदेशों के अनुरूप किया जाय।

विश्वासभाजन
9/2/26
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांक–9/सै0 मेला स्वीकृति–04/2022–330 (9)/रा0, पटना–15, दिनांक–10/02/2026

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार एवं सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव। 9/2/26

D:\Vidyasagar secon-9\2026\letter_(9)_26.doc - 16